

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[3/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 2940]

पृष्ठ - 1

विधानसभा प्रश्न क्र. 2940 (ता.), मा. विधायक श्रीमति नीना विक्रम वर्मा,
सदन में चर्चा दिनांक 03.03.2017

(क) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की कोयले की खपत एवं फ्लाई ऐश की जानकारी

क्र.	ताप विद्युत गृह का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	कोयले की खपत (मी.टन में)		फ्लाई ऐश उत्पादन (मी.टन में)	
			वित्तीय वर्ष 2015-2016	वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु (जनवरी 2017 तक)	वित्तीय वर्ष 2015-2016	वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु (जनवरी 2017 तक)
1	सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी	1330	4523026	2214213	2024840	941303
2	संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर	1340	5031511	3959757	1888611	1456169
3	अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई	210	1057687	722241	379955	263414
4	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया	1200	3019704	1374092	1297896	529866

(ख) वर्ष 2015-16 तथा वर्ष वित्तीय 2016-17 (जनवरी 2017 तक) की अवधि में मप्रपॉजकंलि. के विभिन्न ताप विद्युत गृहों से निष्पादित (डिस्पोज) की फ्लाई ऐश मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है :

क्र.	ताप विद्युत गृह का नाम	निष्पादित (डिस्पोज) की गई फ्लाई ऐश की मात्रा (प्रतिशत में)	
		वित्तीय वर्ष 2015-2016	वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु (जनवरी 2017 तक)
1	सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी	34.80	41.02
2	संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर	78.46	76.38
3	अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई	100.00	53.08
4	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया	3.92	14.426

3/3/2017

(श्याम लाल)

अनुभाग अधिकारी

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,


संजय, बिरसिंहपुर

पृष्ठ-2

विधानसभा प्रश्न क्रं. 2940 (ता.), मा. विधायक श्रीमति नीना विक्रम वर्मा,
सदन में चर्चा दिनांक 03.03.2017

फलाई एश के निष्पादन (डिस्पोज़ल) हेतु केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा
दिनांक 03 नवंबर 2009 को जारी किये गये राष्ट्रीय मापदंड

क्र.	फलाई एश निष्पादन (डिस्पोज़ल) का %	लक्ष्य की अवधि
01	उत्पन्न फलाई एश का कम से कम 50 %	गज़ट नोटिफिकेशन दिनांक 03 नवम्बर 2009 जारी होने के एक वर्ष के भीतर।
02	उत्पन्न फलाई एश का कम से कम 60 %	गज़ट नोटिफिकेशन दिनांक 03 नवम्बर 2009 जारी होने के दो वर्षों के भीतर।
03	उत्पन्न फलाई एश का कम से कम 75 %	गज़ट नोटिफिकेशन दिनांक 03 नवम्बर 2009 जारी होने के तीन वर्षों के भीतर।
04	उत्पन्न फलाई एश का कम से कम 90 %	गज़ट नोटिफिकेशन दिनांक 03 नवम्बर 2009- जारी होने के चार वर्षों के भीतर।
05	उत्पन्न फलाई एश का 100 %	गज़ट नोटिफिकेशन दिनांक 03 नवम्बर 2009 जारी होने के पाँच वर्षों के भीतर।
06	03 नवंबर 2009 के बाद स्थापित नई इकाईयाँ या विस्तारित इकाईयाँ हेतु	इकाईयाँ के आरम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष में 50 %, दो वर्षों में 60 %, तीन वर्षों में 75 % तथा चार वर्ष के भीतर 100 %


(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रं. 2940(ता) सा. विद्यार्थक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
सदन में चर्चा-दि. 3.3.17

1/ सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी :

- 1.1/ फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इसकी निःशुल्क उपलब्धता बाबत लगातार व्यापक प्रचार प्रसार करना।
- 1.2/ सिविल एवं सड़क निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं को अपने-अपने निर्माण कार्यों एवं क्षेत्रों में फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस बाबत संभावनायें तलाशने हेतु सप्रेरित करना।
- 1.3/ फ्लाई एश के निर्बाध प्रदाय हेतु ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करने तथा आदेश प्रसारित करने की प्रक्रिया आरम्भ करना।
- 1.4/ ईट, ब्लॉक, टाईल्स इत्यादि निर्माताओं को फ्लाई एश का निःशुल्क प्रदाय।
- 1.5/ मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमि. की बंद हो चुकी खदानों को भरने के लिये फ्लाई एश का उपयोग।

2/ संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर :

- 2.1/ सीमेंट निर्माताओं कंपनियों को तथा ईट, ब्लॉक, टाईल्स इत्यादि निर्माताओं को फ्लाई एश प्रदाय।
- 2.2/ सिविल एवं सड़क निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं को अपने-अपने निर्माण कार्यों एवं क्षेत्रों में फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस बाबत संभावनायें तलाशने हेतु सप्रेरित करना।

3/ अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई :

- 3.1/ सीमेंट निर्माताओं कंपनियों को तथा ईट, ब्लॉक, टाईल्स इत्यादि निर्माताओं को फ्लाई एश प्रदाय।
- 3.2/ सिविल एवं सड़क निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं को अपने-अपने निर्माण कार्यों एवं क्षेत्रों में फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस बाबत संभावनायें तलाशने हेतु सप्रेरित करना।

4/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया :

- 4.1/ सीमेंट निर्माताओं कंपनियों को तथा ईट, ब्लॉक, टाईल्स इत्यादि निर्माताओं को फ्लाई एश प्रदाय।
- 4.2/ सिविल एवं सड़क निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं को अपने-अपने निर्माण कार्यों एवं क्षेत्रों में फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस बाबत संभावनायें तलाशने हेतु सप्रेरित करना।

21-2-17
(श्याम लाल)

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
संजय, भोपाल